

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4852/2026

Dr. Atul Saxena Son Of Pyare Lal Saxena, Aged About 62 Years,  
Resident Of Plot No. 02, Flat No. 202, Vinayak Bihar, Iskcon  
Road, Baad Mohanpur, Mansarovar, Jaipur - 302020 (Rajasthan).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

---

|                   |   |                                                                            |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Ayush Gupta<br>Mr. Prem Chand Sharma                                   |
| For Respondent(s) | : | Mr. Vijay Singh Yadav, PP<br>Mr. Mukesh Kumar, I.O. Sadar Jaipur<br>(West) |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Order**

**07/04/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना— सदर जयपुर, जिला— जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 327/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आरटीआई के अंतर्गत कार्यालय उप जिला चिकित्सालय, फागी, जयपुर (द्वितीय) से सूचना चाही गई थी और उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 24.03.2026 को यह सूचित किया गया है कि “सितंबर 2020 में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में एसएसओ आईडी से संबंधित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नहीं आता था, ओटीपी के बिना ही उक्त प्रक्रिया की जाती थी।” तथा उक्त सूचना के तहत प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी सूचित किया गया है कि “सितंबर 2020 में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में एसएसओ आईडी से संबंधित

अधिकारी द्वारा आवेदक के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से सत्यापित नहीं किया जाता था, अपितु संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा ही फोरवर्ड किया जाता था।” उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जिसे कि कूटरचित होना और उसके आधार पर अभ्यर्थी कविता यादव द्वारा उसका उपयोग कर शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में दिव्यांगता की श्रेणी में चयनित होने के संदर्भ में उनकी कोई संबद्धता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त दिव्यांगजन प्रमाण पत्र सितंबर 2020 में जारी करना बताया गया है और उक्त दिव्यांगजन प्रमाण पत्र सांभर में परीक्षित होने के उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी करना बताया गया है और तत्समय प्रार्थी/अभियुक्त सांभर में पदस्थापित नहीं था और इस तथ्य की पुष्टि में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रदर्श 9 कार्यालय आदेश प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.04.2020 से दिनांक 31.12.2024 तक कार्यालय उप जिला चिकित्सालय, फागी, जयपुर (द्वितीय) में पदस्थापित था। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की एसएसओ आईडी उनके सेवानिवृत्त होने के उपरांत अभी तक संचालित हो रही है और इस संदर्भ में जमानत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि उप जिला चिकित्सालय, फागी, जयपुर (द्वितीय) में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में डॉ. अतुल सक्सेना की एसएसओ आईडी काम में ली जा रही है, जबकि डॉ. अतुल सक्सेना दिनांक 31.12.2024 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधन में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है एवं प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की आयु 60 वर्ष से अधिक है और वह सेवानिवृत्त हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो संलग्न पत्रावली रहे।

विद्वान् लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुख्य लाभार्थी कविता यादव के संदर्भ में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र एसएसओ आईडी के माध्यम से जारी किया गया है और दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में लाभार्थी कविता यादव की विकलांगता 55 प्रतिशत दर्शित की गई है, जबकि वर्ष 2018 में आयोजित परीक्षा के लिए विकलांगता की सीमा 40 प्रतिशत थी। वास्तव में अभ्यर्थी कविता यादव के संदर्भ में मेडीकल बोर्ड एवं बैरा टेस्ट के अंतर्गत यह प्रमाणित हुआ कि उसकी विकलांगता 55 प्रतिशत न होकर 40 प्रतिशत से कम थी, जो कि परीक्षा में चयनित होने के लिए योग्यता मापदंड नहीं था। इसके अतिरिक्त रिवाइज्ड बोर्ड द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अभ्यर्थी कविता की विकलांगता मात्र 15 प्रतिशत होना दर्शित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता रही है और उक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर लाभार्थी द्वारा नौकरी प्राप्त की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त एफआईआर के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया जाना उचित प्रकट होता है। इस संदर्भ में संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पुलिस थाना— सदर जयपुर, जिला— जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 327/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त को आगामी तिथि तक गिरफ्तार न करें।

विद्वान् लोक अभियोजक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि पर प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में संपूर्ण अनुसंधान होने के उपरांत तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.04.2026 को या उससे पूर्व अत्यावश्यक रूप से उपस्थित होवे तथा संबंधित दस्तावेजात, जिनका

उल्लेख प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत याचिका के अंतर्गत किया गया है, वह भी संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त दस्तावेजात को अभिलेख पर लेकर संबंधित अनुसंधान अधिकारी उक्त दस्तावेजात की सत्यता के संदर्भ में नियमानुसार अनुसंधान करे और आगामी तिथि पर न्यायालय के समक्ष विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संबद्धता के संदर्भ में प्रस्तुत करे।

प्रार्थी/अभियुक्त यदि दिनांक 10.04.2026 तक संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में विधि अनुरूप कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण दिनांक 22.04.2026 को सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J